

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 19.07.2022

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल— व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मोनिका सोनकर पत्नी राकेश सोनकर नि०ग्राम पिपरा सूर्यमन के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—156/22, 02.धूपा कश्यप पत्नी स्व० रामबहादुर नि०ग्राम पिपरा सूर्यमन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—157/22, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 03. किशुन प्रसाद सोनकर पुत्र बंशराज सोनकर नि०ग्राम पिपरा मौजा पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—158/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नन्हके गुप्ता पुत्र रामसनद गुप्ता नि० ग्राम भितरी कोठा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—221/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामपियारी पत्नी अशर्फी लाल नि० पंचपुरवा मौजा पूरेसुकाली थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—142/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 19.07.2022**

**मिशनशक्ति अभियान के तहत छेड़छाड़ करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं पर घटित अपराधों के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त इंद्रीश को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना को० नगर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की के साथ उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ किया था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार कर्ता:—**

01. इंद्रीश पुत्र इजराइल नि० नई बस्ती राजा मोहल्ला निकट महाराजगंज पुलिस चौकी थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:—**

01. मु०अ०सं०-450/22, धारा 354,452,504,506 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता:—**

उ०नि० मंजू यादव मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 19.07.2022**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 19.07.2022 को थाना इटियाथोक के उ०नि० अभिषेक वर्मा मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामवकील वर्मा को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 130 टेबलेट अल्प्राजोलम की अवैध नशीली गोलियाँ बरामद हुईं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. रामवकील वर्मा पुत्र सुचित वर्मा निवासी बिरमापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 230/22, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 130 अवैध नशीली गोलियाँ ( अल्प्राजोलम ) बरामद।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ०नि० अभिषेक वर्मा मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 19.07.2022**

**सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 व्यक्ति गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जुआरियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर के पास से जुआ खेलते हुए 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल- 370 रुपये नगद एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. रफीक पुत्र नियाज अहमद नि0 कौड़िया बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 120/21, धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. हे0का0 गजानंद पाठक मय टीम ।